

--:शुद्धिपत्र Corrigendum::--

कंडिका 20 निम्नानुसार है-

"20. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा अधिकतम निर्धारित पदों पर अपनी आवश्यकता के अनुसार कम पदों पर भी भर्ती की जा सकेगी।"



एस० शर्मा

(अध्यक्ष)

भर्ती समिति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा